

15.06.23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलानं 34।
अपीलानं अधिवक्ता ने कॉमि जं. 03 के
साथ मूल वाद की प्रमाणित प्रति पेश कर
निवेदन किया कि मूल वाद भादेश 9
निम्न SCPC में खातिज किया गया। यदि न्यायालय
द्वारा मुझे पुनः वशापद की अनुमति के
साथ अपील खातिज की जाती है तो भाषण
नहीं है। अपीलानं अधिवक्ता की पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

P.T=0.

बहल सुनी गई। मूल वाद खारिज हो गया है।
 इल्लियट अपील 212 के विरुद्ध मेंटेनेन्स नहीं है।
 अपीलान्ट ने निवेदन किया कि मूल वाद पुनः
 बरामद होगा है वो अपील को नंबर पर
 दर्ज करने की अनुमति दी जावे जिसे
 म्यापलिस में स्वीकार किया जाकर अनुमति
 दी जाती है। पत्रावली इसी स्टेज पर
 खारिज की जाती है। पत्रावली फेजल
 शुमार नंबर से कम होकर बाद
 राष्ट्रीय तकनीक दायित्व हस्तगत हो रहे हैं।
 अरे इल्लिया सुनाया गया।

Janis
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

मैंने इस अपील को खारिज किया है। इस अपील में
 कोई भी नया सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 मैंने इस अपील को खारिज किया है।

राजस्व
 अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर